

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून:-दिनांक: 10 :मई,2011

विषय:-तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत समनुदेशन के आधार पर समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2011-12 की प्रथम किश्त हेतु वित्तीय संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2011-12 की प्रथम किश्त हेतु कुल धनराशि ₹158718000.00 (एकपन्द्रह करोड़ सत्तासी लाख अठ्ठारह हजार मात्र) को संलग्नक में अंकित धनराशि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2-उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:-

i)- संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नहीं की जा सकेगी। क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के बिल कोषागार से आहरण हेतु जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

ii) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत को संक्रमित धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ट्रेजरी चैक/क्रास्ट बैंक ड्राफ्ट द्वारा 15 दिन के भीतर खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

3- संक्रमित धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या:- 1674ए/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर,2006 द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के अनुसार व्यय की जायेगी। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन /समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी तथा शासन के अनुमोदन के उपरान्त ही बदलाव अनुमन्य होगा।


4- संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

5- उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त कर सम्बंधित जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, ग्राम्य विकास/पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी। प्रमाण-पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।

6- संक्रमित धनराशि वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-02-पंचायती राज संस्थाएं-197-विकास खण्ड स्तरीय पंचायत-03-राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीया,



(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या:-304 (1)/XXVII(1)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
- 6- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,


(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या:- 307 / XXVII(1) / 2011 दिनांक: 10 मई, 2011 का संलग्नक।

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2011-12 की देय अनुदान की प्रथम किश्त का संकमण।

(धनराशि हजार ₹में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	प्रथम किश्त
1	2	3
1-अल्मोड़ा	भैसियाछाना	545
	भिकियासैण	809
	चौखुटिया	965
	धौलादेवी	1988
	द्वाराहाट	1194
	हवलबाग	1105
	लमगड़ा	1320
	सल्ट	1699
	स्याल्दे	1359
	ताकुला	732
	ताडीखेत	1851
	योग:-	13567
	2-बागेश्वर	बागेश्वर
गरुड़		941
कपकोट		1858
योग:-		4806
3-चमोली	दशोली	1142
	देवाल	898
	गैरसैण	1771
	घाट	830
	जोशीमठ	2479
	कर्णप्रयाग	1517
	नारायणबगड़	840
	पोखरी	1011
	थराली	812
योग:-	11300	
4-चम्पावत	बाराकोट	507
	चम्पावत	2037
	लोहाघाट	657
	पाटी	885
योग:-	4086	
5-देहरादून	चकराता	1665

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2011-12 की देय अनुदान की प्रथम किश्त का संकमण।

(धनराशि हजार ₹में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	प्रथम किश्त
	डोईवाला	2232
	कालसी	1711
	रायपुर	2289
	सहसपुर	2846
	विकासनगर	2266
	योग:-	13009
6-हरिद्वार	बहादुराबाद	6267
	भगवानपुर	3305
	खानपुर	1018
	लक्सर	2003
	नारसन	2816
	रुड़की	2430
	योग:-	17839
7-नैनीताल	बेतालघाट	996
	भीमताल	796
	धारी	497
	हल्द्वानी	2492
	कोटाबाग	800
	ओखलकाण्डा	1307
	रामगढ़	869
	रामनगर	1274
	योग:-	9031
8-पौड़ी	बीरोंखाल	2473
	दुगड्डा	4893
	द्वारीखाल	2998
	एकेश्वर	1501
	कल्जीखाल	1924
	खिसू	1021
	कोट	1403
	लैंसडाऊन	1946
	नैनीडांडा	2454
	पाबो	1988
	पौड़ी	1237
	पोखड़ा	997

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2011-12 की देय अनुदान की प्रथम किश्त का संकमण।

(धनराशि हजार ₹में)


जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	प्रथम किश्त
	थलीसैण	3351
	यमकेश्वर	3035
	योग:-	33054
9-पिथौरागढ़	बेरीनाग	1570
	धारचूला	2272
	डीडीहाट	635
	गंगोलीहाट	1884
	कनालीछीना	880
	मुनाकोट	931
	मुनस्यारी	2586
	पिथौरागढ़	895
	योग:-	11653
10-रुद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	2480
	जखोली	1227
	ऊखीमठ	1286
	योग:-	4993
11-टिहरी गढ़वाल	भीलंगना	4221
	चम्बा	1141
	देवप्रयाग	1363
	जाखणीधार	902
	जौनपुर	1854
	कीर्तिनगर	845
	नरेन्द्रनगर	1016
	प्रतापनगर	989
	थौलधार	909
	योग:-	13240
12-ऊधमसिंह नगर	बाजपुर	1419
	गदरपुर	1171
	जसपुर	1331
	काशीपुर	1015
	खटीमा	3448
	रुद्रपुर	1410
	सितारगंज	3621
	योग:-	13415
		1622

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2011-12 की देय अनुदान की प्रथम किश्त का संकमण।

(धनराशि हजार ₹में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	प्रथम किश्त
	चिन्यालीसौड	980
	डुण्डा	1136
	मोरी	1343
	नौगाँव	3078
	पुरोला	556
	योग:-	8725
	महायोग:-	158718

(रुपन्द्रह करोड़ सत्तासी लाख अठ्ठारह हजार मात्र)


(राधा रतूडी)
सचिव, वित्त।